

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या-941 / 2016 / अजमेर
2. अपील संख्या-942 / 2016 / अजमेर
3. अपील संख्या-943 / 2016 / अजमेर
.....अपीलार्थी.
- मैसर्स बालाजी मिनीकेम, ब्यावर
बनाम
सहायक आयुक्त, ब्यावर
.....प्रत्यर्थी.
4. अपील संख्या-944 / 2016 / अजमेर
5. अपील संख्या-945 / 2016 / अजमेर
.....अपीलार्थी.
- मैसर्स बालाजी माईन्स एण्ड मिनरल्स, ब्यावर
बनाम
सहायक आयुक्त, ब्यावर
.....प्रत्यर्थी.
6. अपील संख्या-946 / 2016 / अजमेर
7. अपील संख्या-947 / 2016 / अजमेर
8. अपील संख्या-948 / 2016 / अजमेर
.....अपीलार्थी.
- मैसर्स बालाजी माईनिंग वर्क्स, ब्यावर
बनाम
सहायक आयुक्त, ब्यावर
.....प्रत्यर्थी.
9. अपील संख्या-949 / 2016 / अजमेर
10. अपील संख्या-950 / 2016 / अजमेर
11. अपील संख्या-951 / 2016 / अजमेर
.....अपीलार्थी.
- मैसर्स बालाजी मिनीकेम इण्डस्ट्रीज, ब्यावर
बनाम
सहायक आयुक्त, ब्यावर
.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी. महेश्वरी
अधिकृत प्रतिनिधि

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई
उपराजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 22.10.2018

निर्णय

1. उपर्युक्त समस्त अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 02.02.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ब्यावर/सहायक आयुक्त, ब्यावर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 के अन्तर्गत पारित आदेशों द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापन के अभाव में तालिकानुसार अस्वीकार की गयी आई. टी.सी. व कर राशि कम जमा होने के कारण आरोपित अनुवर्ती ब्याज एवं तालिकानुसार धारा 58 के तहत शास्ति को विवादित किया गया है। सृजित मांग का विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-






लगातार.....2.

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धा. आदेश दिनांक	कर निर्धा. वर्ष	अस्वीकृत आई.टी.सी.	कर	शास्ति	ब्याज	कुल मांग राशि
941/2016	07/15.16/वैट	19.01.11	08-09	950233	-	9350	5207	964790
942/2016	39/15-16/वैट	21.02.14	11-12	1930182	232751	-	67498 व 2159	2232590
943/2016	63/15-16/वैट	01.01.15	12-13	1388464	-	-	417940	1806404
944/2016	08/वैट/15-16	18.01.11	08-09	670203	-	9350	2573	682126
945/2016	62/वैट/15-16	15.01.15	12-13	754819	-	-	227061	981265
946/2016	10/वैट/15-16	18.01.11	08-09	1092150	-	-	9510	1103365
947/2016	03/वैट/15-16	24.02.14	11-12	377063	-	-	96408	473132
948/2016	09/वैट/15-16	15.01.15	12-13	1211583	-	10200	383734	1605517
949/2016	04/वैट/15-16	11.01.11	08-09	365005	-	8810	10828	384343
950/2016	40/वैट/15-16	21.02.14	11-12	62335	-	2038	9834	74207
951/2016	60/वैट/15-16	07.01.15	12-13	739902	-	7700	223399	971001

- उक्त प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
- प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के आलौच्य अवधि के कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित करते समय अपीलार्थी द्वारा क्लेम की गयी I.T.C (Input Tax Credit) की राशि को सत्यापन के अभाव में अस्वीकार किया गया एवं कर, कम जमा राशि पर ब्याज आरोपित किया गया। विवरण प्रपत्र को पेश करने पर धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा समस्त प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पूर्ण सत्यापन के पश्चात् I.T.C (Input Tax Credit) का समायोजन का आदेश धारा 18 के प्रकाश में पारित करे तथा विवरण प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने पर अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के संबंध में पुनः जांच कर एवं अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान एवं उचित गणना कर आदेश पारित करें। उक्त अपीलीय अधिकारी के आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त समस्त द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी है।
- उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।
- अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेशों का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चाहे गये आगत कर की राशि को अस्वीकार करने तथा अनुवर्ती ब्याज के आरोपण से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित





लगातार.....3.

कर नियम, 2006 के नियम 48 का उल्लंघन है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि से संबंधित समस्त दस्तावेज त्रैमासिक व वार्षिक विवरणी प्रपत्र समय पर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं। फिर भी धारा 58 के अधीन शास्ति का आरोपण किया गया। शास्ति के आरोपण से पूर्व अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की गयी।

6. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा समस्त लेन देन बहियात में दर्ज है। वैट इनवॉयस सही जारी किये गये हैं तथा कर निर्धारण अधिकारी को नियमित रिटर्न पेश किये गये हैं तथा रिटर्न के अनुसार बनने वाला कर भी जमा करवाया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर की गयी खरीद पूर्णतः सही है, बिल भी प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अभिभाषक द्वारा आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि सद्भाविक रूप से कर किये गये संव्यवहार पर आई.टी.सी. नहीं दिया जाना अनुचित है तथा व्यवहारी द्वारा माल जिस विक्रेता से कर किया गया है वह विभाग में पंजीकृत है। विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अधिनियम की धारा 18(1)(a) से (g) के अनुसार आई.टी.सी. का क्लेम दिया जाना अनिवार्य है तथा बिलों के मिथ्या या कूटराचित प्रमाणित किये बिना क्लेम अस्वीकार करना न्यायोचित नहीं है।
7. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का आगे यह तर्क रहा है कि विक्रेता के कर जमा के सत्यापन नहीं होने पर विभाग को व्यक्तिकमी विक्रेता व्यवहारी के विरुद्ध कर की वसूली की कार्यवाही के लिये अग्रसर होना चाहिये न कि सद्भाविक क्रेता व्यवहारी को I.T.C (Input Tax Credit) देने से इन्कार करना चाहिये। विभाग के समक्ष पर्याप्त सामग्री थी यदि अपीलार्थी/क्रेता व्यवहारी व विक्रेता व्यवहारी ने कोई दुरभिसंधि (Collusion) की गयी है तो वह अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत अग्रसर हो सकता है, किन्तु वर्तमान प्रकरणों में ऐसा नहीं पाया गया। वर्तमान प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा खरीद के संव्यवहार (Transaction) को बोगस या Ingenuine नहीं पाया गया तथा वर्तमान प्रकरणों में अपीलार्थी/क्रेता व्यवहारी द्वारा की गयी खरीद व विक्रेता द्वारा किया गया विक्रय Mismatch नहीं है। अतः विक्रेता द्वारा कर को जमा नहीं कराने से सद्भाविक क्रेता को ITC से इन्कार न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानुसार निर्धारण आदेश अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा समस्त दस्तावेज त्रैमासिक व वार्षिक विवरणी प्रपत्र के आधार पर किया जाना चाहिये जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत समस्त



लगातार.....4




दस्तावेज त्रैमासिक व वार्षिक विवरणी प्रपत्र में घोषित संव्यवहार व चाहे गये आई.टी. सी. को अस्वीकार कर आदेश पारित किया गया, जो विधिसम्मत नहीं है क्योंकि धारा 23 के अन्तर्गत Self Assesment का प्रावधान है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों के संबंध में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

1. Rajasthan High Court, Civil Writ Petition No. 12445/2016 R.S.Infra-Transmission Ltd. Vs State of Rajasthan & Ors. Dated 11-04-2018
2. Supreme Court of India, Civil Writ Petition No 7031 to 7034/2009 Commission of Central Excise Jalandhar Vs. Kay Kay Industries Dated 26-08-2013
3. Delhi High Court, Writ Petition Arise India Limited Vs. Commissioner of Trade & Taxes Dated 26-10-2017
4. Rajasthan High Court, Civil Writ Petition 9017/2013 Pooja Trading Company Vs. State of Rajasthan & ors. Dated 02-03-2015
5. Rajasthan High Court, Civil Writ Pettion No. 6940/2013 Shree Balaji Trading Company Vs. State of Rajasthan & Ors. Dated 13-02-2015
6. Madras High Court, Civil Writ Pettion No. 9265/2013 Infiniti Wholesale Limited Vs. The Assistant Commissioner Dated 06-11-2014

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया कि न्यायिक दृष्टांत संख्या 1 R.S.Infra-Transmission Ltd. Vs State of Rajasthan में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "क्रेता व्यवहारी को केवल यह साबित करना है कि उसने विक्रेता व्यवहारी को राशि अदा कर दी गयी है। क्रेता व्यवहारी के लिये यह साबित करना असम्भव है कि विक्रेता व्यवहारी ने कर अदा किया है या नहीं।" इस प्रकार अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए यह कथन किया गया कि वर्तमान प्रकरणों में क्रेता द्वारा विक्रेता को सम्पूर्ण राशि अदा की जा चुकी है तथा उसके समस्त लेन देन लेखा पुस्तकों में दर्ज है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा खरीद के संव्यवहार (Transaction) को बोगस या Ingenuine नहीं पाया गया तथा अपीलार्थी व्यवहारी के वेट 7A तथा विक्रेता व्यवहारी के वेट 8A Mismatch नहीं है। अतः विक्रेता द्वारा कर को जमा नहीं कराने से सद्भाविक क्रेता को ITC से इन्कार न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का आगे यह तर्क रहा है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में की गयी विधिक त्रुटि को पुनः सुनवाई के अवसर के निर्देश के साथ दुसरा अवसर प्रदान कर विधिसम्मत नहीं बनाया जा सकता। उक्त प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किये जाने से अपीलार्थी व्यवहारी का बिना किसी युक्तियुक्त कारणों के




लगातार.....5.



उत्पीड़न होगा। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आईटीसी को अस्वीकार करने तथा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति का आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है। अतः अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

9. प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति/आधार अपीलीय अधिकारी के समक्ष लिया गया था कि आईटीसी को अस्वीकार करने एवं अनुवर्ती ब्याज तथा धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों को अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में किये जाने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है क्योंकि अपीलार्थी व्यवहारी को अपनी समस्त आपत्तियां एवं आधार कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा तथा इसके पश्चात् भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से व्यथित होने पर अपील का अवसर प्राप्त होगा। अतः प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
10. उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व पत्रवाली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
11. वर्तमान प्रकरणों में विवादित प्रश्न यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरणी को धारा 23 के तहत स्वीकार नहीं किया जाकर मांग सृजित करने से पूर्व धारा 24 के तहत कारण बताओं नोटिस दिया जाना आज्ञापक था एवं धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान करना आज्ञापक था तथा धारा 18 के तहत आईटीसी के लिये अपीलार्थी व्यवहारी को केवल यह साबित/सत्यापित करना आवश्यक था कि उसने जिस विक्रेता व्यवहारी से माल क्रय किया है उसको माल की राशि अदा कर दी गयी है।
12. वर्तमान प्रकरणों में आईटीसी क्लेम के विवाद के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मुख्य आधार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Civil Writ Petition No. 12445/2016 R.S.Infra-Transmission Ltd. Vs State of Rajasthan & Ors. Dated 11-04-2018 में प्रतिपादित सिद्धान्त का लिया गया है

लगातार.....6.




जिसके अनुसार "क्रेता व्यवहारी को केवल यह साबित करना है कि उसने विक्रेता व्यवहारी को राशि अदा कर दी गयी है। क्रेता व्यवहारी के लिये यह साबित करना असम्भव है कि विक्रेता व्यवहारी ने कर अदा किया है या नहीं।"

13. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Civil Writ Petition 9017/2013 Pooja Trading Company Vs. State of Rajasthan & ors. Dated 02-03-2015 में प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लेख करते हुए कथन किया है कि बिलों के मिथ्या या कूटरचित प्रमाणित किये बिना क्लेम अस्वीकार करना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त का आधार लेते हुए यह कथन किया है कि वर्तमान प्रकरणों में अपीलार्थी/क्रेता व्यवहारी द्वारा विक्रेता को सम्पूर्ण राशि अदा की जा चुकी है तथा उसके समस्त लेन देन लेखा पुस्तकों में दर्ज है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा खरीद के संव्यवहार (Transaction) को बोगस या Ingenuine नहीं पाया गया तथा अपीलार्थी व्यवहारी के वेट 7A तथा विक्रेता व्यवहारी के वेट 8A Mismatch नहीं है।
14. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का ऊपर लिये गये आधारों पर इस बात पर बल दिया है कि विक्रेता द्वारा कर को जमा नहीं कराने से सद्भाविक क्रेता को ITC से इन्कार न्यायोचित नहीं है। विक्रेता के कर जमा के सत्यापन नहीं होने पर विभाग को व्यतिक्रमी विक्रेता व्यवहारी के विरुद्ध कर की वसूली की कार्यवाही के लिये अग्रसर होना चाहिये न कि सद्भाविक क्रेता व्यवहारी को I.T.C. (Input Tax Credit) देने से इन्कार करना चाहिये। विभाग के समक्ष पर्याप्त सामग्री है कि क्रेता व्यवहारी व विक्रेता व्यवहारी ने कोई दुरभिसंधि (Collusion) की गयी है तो वह अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत अग्रसर हो सकता है, जो कि वर्तमान प्रकरणों में ऐसा नहीं पाया गया।
15. यह उल्लेखनीय है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह माना है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चाहे गये आगत कर की राशि को अस्वीकार करने तथा अनुवर्ती ब्याज के आरोपण से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 का उल्लंघन है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि से संबंधित समस्त दस्तावेज त्रैमासिक व वार्षिक विवरणी प्रपत्र समय पर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं। फिर भी धारा 58 के अधीन शास्ति का आरोपण किया गया, शास्ति के आरोपण से पूर्व अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना किया जाना माना है।



लगातार.....7.



16. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा R.S.Infra-Transmission Ltd. में दिनांक 11.04.2018 को निर्णय पारित किया। वर्तमान प्रकरणों में अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.02.2016 को पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पश्चात् माननीय राजस्थान न्यायालय द्वारा R.S.Infra-Transmission Ltd. में निर्णय पारित किया गया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रमुख रूप से यह आपत्ति और आधार लिया गया था कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा अपीलार्थी का संव्यवहार (Transaction) को बोगस या Ingenuine नहीं पाया गया तथा अपीलार्थी व्यवहारी के वेट 7A तथा विक्रेता व्यवहारी के वेट 8A Mismatch नहीं है एवं विक्रेता द्वारा कर को जमा नहीं कराने से सद्भाविक क्रेता को ITC से इन्कार न्यायोचित नहीं है। इस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा समस्त प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पूर्ण सत्यापन के पश्चात् I.T.C (Input Tax Credit) का समायोजन का आदेश धारा 18 के प्रकाश में पारित करे तथा विवरण प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने पर अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के संबंध में पुनः जांच कर एवं अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान एवं उचित गणना कर आदेश पारित करें। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा गुणावगुण पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है।
17. जहां तक सत्यापन के पश्चात् I.T.C (Input Tax Credit) समायोजन के आदेश का प्रश्न है तो कर निर्धारण अधिकारी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त Civil Writ Petition No. 12445/2016 R.S.Infra-Transmission Ltd. Vs State of Rajasthan & Ors. Dated 11-04-2018 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अलोक में किसी पूर्ववर्ती शर्त से परिसीमित करना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी के प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है तथा कर निर्धारण अधिकारी को जारी निर्देश इस प्रकार Modify किये जाने योग्य है कि कर निर्धारण अधिकारी माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में साबित/स्थापित तथ्यों पर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जो आधार व आपत्तियां प्रस्तुत की गई है उन सभी को Consider करते हुए आदेश पारित करें। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों को अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को





लगातार.....8.



प्रतिप्रेषित किये जाने में किये जाने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है क्योंकि अपीलार्थी व्यवहारी को अपनी समस्त आपत्तियां एवं आधार कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा तथा इसके पश्चात् भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से व्यथित होने पर अपील का अवसर प्राप्त होगा। अतः अपीलीय अधिकारी का प्रकरणों को प्रतिप्रेषित कर पुनः निर्णय पारित करने का आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

18. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत उक्त समस्त अपीलें अस्वीकार की जाती हैं तथा अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 02.02.2016 में प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेशों की पुष्टि की जाती है किन्तु कर निर्धारण अधिकारी को जारी निर्देशों को इस प्रकार Modify किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में साबित/स्थापित तथ्यों पर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो आधार व आपत्तियां प्रस्तुत की जाये, उन सभी को Consider करते हुए आदेश पारित करें।
19. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जायें।


(राजीव चौधरी)
सदस्य


(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष